मुकदमा नं. प्रार्थना पत्र 78/2022 [illegible]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	[illegible] 2022/152	
09/01/2023	बाबूलाल पटवारी उपस्थित। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध फर्जनामे अनुसार अपीलार्थी सं. 1 व 2 द्वारा तथा जप्त पर काश्तकार भूमि के 1/2 के काश्तकार के भूमि क्रय की गई थी शेष 1/2 हिस्से की भूमि उनकी पैतृक भूमि रही है। अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के 2.5.2022 को एक प्रार्थना अन्तर्गत आज्ञा 41 नियम 27 अपने पक्ष में पारी कार्यवाही अपीलीय के दस्तावेज एवं अन्य प्रार्थना के दस्तावेजात इत्यादि के भी प्रस्तुत है कि काश्तकार भूमि 1/2 हिस्से को वह बेचान अन्तरण इत्यादि करने के लिए न्यायालय से अनुमति चाहता है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि ग्राम रावां परगना मजल तहसील के ख.नं. 324, 695/2-7, 700/2, 271, 281, ग्राम हरावास के ख.नं. 643 से 651 में से अपनी क्रय शुदा भूमि 1/2 को बेचान हस्तान्तरण अन्यथा रहन इत्यादि विषय हिस्से को वर्णित किये बगैर किसी भी प्रकार से अन्तरण किये जाने हेतु अपीलार्थी सं. 2 स्वयम् व उप पंजीयक कुचामन [illegible] तथा तहसीलदार कुचामन सिटी [illegible] आदेश आज दिनांक 09/01/2023 को दिया जाता है।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2023.02.13 14:37:48 IST
Reason: SelfAttested

(बाबूलाल जाट R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)